कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु इनके त्याग पत्र को प्रबंध निदेशक, झालको रांची द्वारा स्वीकृत होने के संबंध में कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उनके द्वारा आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 16/– रैयतों को निर्गत नोटिस का तामिला ढोल सोहरत के साथ नहीं किया गया है एवं रैयतों के आम सहमति पर विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा उत्तरकारी पर आरोप लगाया गया है कि उत्तरकारी द्वारा मौजा के दाग सं0 493 ग्रामीण सड़क एवं 664 खास जमींन का अतिक्रमण किया गया है।

प्रधान के चतुर्थ पुत्र नरेश मरीक के ओर से भी इन्टरभेनर के रूप में आवेदन दाखिल कर कहा है कि उत्तरकारी प्रधान पद के योग्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा ग्रमीण सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा कोई जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। नरेश मरीक को सेशन जज दुमका के क्रि0 अपील नं0 79/2009 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 द्वारा आरोप मुक्त किया गया है। किन्तु सेशन जज दुमका के क्रि0 अपील वाद सं0 79/2009 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपील वाद का विद्वान जज द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व प्रधान के प्रथम पुत्र झालको में कार्यरत है तथा अबतक उनके त्याग पत्र को प्रबंध निदेशक, झालको रांची द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। 1998 (1) पी.एल.जे.आर. 43, 1998(1) All PLR 277 (Pat) (Babulal Hembrom v/s State of Bihar में पारित आदेश) के आलोक में सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना गया है तथा पूर्व प्रधान के चतुर्थ पुत्र (इन्टरभेनर) को भी न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुमका के जी.आर. केस नं0 926/05 / टी.आर. केस नं0 195/09 में सजा हुई है तथा उसके विरूद्ध दायर क्रि0 अपील वाद सं0 79/09 को भी सेशन जज द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2010 को अस्वीकृत किया गया है। जहाँ तक उत्तरकारी के विरूद्ध ग्रामीण सड़क एवं खास जमींन का अतिक्रमण का आरोप है, इस संबंध में अपीलकर्त्ता एवं रैयतों द्वारा निम्न न्यायालय में किसी प्रकार का आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उपलब्ध कागजातों के आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर की गई नियुक्ति सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश के बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अपीलकर्त्ता चाहे तो अतिक्रमण के संबंध में अलग से निम्न न्यायालय में आवेदन दे सकते है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

देखा।
नील कठगा
अधिवक्ता
दुमका
23.2.17